न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्ववाद संख्या 1/27/2019

वउनवान

1. अमरसिंह पुत्र लक्ष्मणराम जाति मीना निवासी कालवाडी तहसील कठूमर जिला अलवर

———वादी

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत
2. सवाईसिंह पुत्र रामसिह जाति राजपूत
3. बच्चूसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत
4. दशरथसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत
5. रतपालसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत
6. रामवीरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत
7. माया पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत

निवासीयान ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर

8 उप पंजीयक भनोखर तहसील कठूमर।

प्रतिवादीगण

दावा घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री धनश्याम शर्मा एडवोकेट– वकील वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.02.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1929/2रकवा 0.56 हे. ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर में स्थित है। इसका मूल खसरा नम्बर 1929 रकवा 2 वीघा 11 विस्वा वाके ग्राम कालवाडी था खसरा नम्बर 1929 रकवा 2 वीधा 11 विस्वा में से रकवा 0.09 हे. यानि रकवा 7 विस्वा प्रतिवादीगण ने दीगर सख्स को वेचान कर दिया इस कारण खसरा नम्बर 1929 के दो नम्बर बन गये खसरा नम्बर 1929/1 दीगर खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

नम्बर 1929/2 प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज हैं।आराजी खसरा नम्बर 1267, 1272, 1280, 1286, 1921, 1924, 1929 किता 7 रकवा 18 वीघा 1 विस्वा वाके ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर को प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 1–3 के पिता रामसिंह व प्रतिवादी सं0 4 ला0 7 के पिता देवीसिंह की शामलात खातेदारी की आराजी थी। जिसका इन्होंने सहमति व स्वेच्छा से घरू वंटवारा कर लिया था जिस घरू वंटवारा के अनुसार खसरा नम्बर 1929 प्रतिवादी सं0 1 को घरू वंटवारे में मिला था। प्रतिवादी सं0 1 को घरू आवश्यकता के लिये पैसों की जरूरत थी जिस कारण प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी जरूरत की पूर्ति के लिये आराजी खसरा नम्बर 1929 में से रकवा 2 वीघा आराजी को वादी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 15.06.1973 को वादी से नकद 2400 रूपये जंये वय लेकर विक्रय कर दिया तथा रकवा 2 वीघा पर वाद वेचान कबजा करा दिया। वयनामा के समय गवाह दुर्गाप्रसाद पुत्र छंगा ब्राहमण निवासी कुटटी व वडी सौंखरी व नानगराम पुत्र झूँथा मीना निवासी कालवाडी मौजूद थे जिनके वयनामा पर हस्ताक्षर अंगूठा मौजूद है। उस समय प्रतिवादी सं0 2–3 के पिता रामसिंह व प्रतिवादी सं0 4 ला0 7 के पिता देवीसिंह ने वेचान में सहमति दी थी और इनकी सहमति के आधार पर ही उक्त बयनामा उप पंजीयक कठूमर ने तस्दीक किया था सहमति से ही रकवा 2 वीघा पर वादी को कब्जा दिया गया। वाद वेचान से विवादित आराजी रकवा 2 वीघा तरफ पि चम पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा। इस प्रकार उक्त आराजी में से प्रतिवादीगण के अधिकार खत्म होकर वादी में निहित हो गये। वाद खरीद से ही वादी विवादित आराजी रकवा 2 वीघा पर प्रतिवादीगण क जानकारी में कविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काविज है। वादी कम पढा लिखा देहात का रहने वाला गरीब व्यक्ति है जिसे पता नहीं था कि वयनामा कराने के वाद उसे पटवारी हल्का को देकर अपने हक में इन्तकाल दर्ज करवाया जाता है और वादी ने उक्त रजिस्टर्ड वयनामा को अपने पास रख लिया और विवादित आराजी पर काश्त करता रहा। पटवारी हल्का से पता चला कि वयनामा के आधार पर अभी इन्तकाल स्वीकार नहीं हुआ है। तव वादी ने रजिस्टर्ड वयनामा व हाल जमाबन्दी लेकर प्रतिवादीगण से इन्द्राज दुरूस्त कराने वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। प्रतिवादीगण वादी को कृशक खातेदार मानने से इन्कार हो रहे है। अतः वादी हाल राजस्व रेकार्ड से इन्द्राज को दुरूस्त कराने का मुस्तहक है। गलत राजस्व रेकार्ड की आड में प्रतिवादीगण वादी को कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है झगडा करते है व दीगर लोगों को रहन वय करने व कब्जा कराने की धमकी देते है। अतः वादी ने विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

नाम कलमजन कराकर अपनी खातेदारी में दर्ज कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व दावा वादी मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदेन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन तलव भेजकर तलव किया गया।

प्रतिवादी सं0 1 ला0 7 दिनांक 30.03.2022 व प्रतिवादी सं0 8 दिनांक 28.04.2022 को बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075, प्रदर्श 2 जमान्दी संवत् 2052 से 2055प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत् 2048 से 2051 वाके ग्राम कालवाडी व प्रदर्श–4 असल वयनामा दिनांक 15.06.1973 पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह ँस्वंय वादी अमरसिंह ँ2 भरतलाल पी डब्ल्यू 3 अमरसिंह पुत्र कल्याणसिंह के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है। जो संलग्न पत्रावली है।

अधिवक्ता वादी की एकपक्षिय वहससुनी गई। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड असल वयनामा व गवाहान आदि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी एकपक्षिय वहस में मुख्य रूप से अपने दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये असल रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 15.06.1973 के आधार पर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने व हाल राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करवाद वादी प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सावित है। अतः दावा वादी मुताविक अनुतोश डिक्री किया जावे।

असल ,वयनामा के अवलोकन से यह सही है कि भगवानसिंह ने आराजी खसरा नम्बर 1929 रकवा 2 वीघा 11 विस्वा वाके ग्राम कालवाडी में से रकवा 2 वीघा का वयनामा वादी अमरसिंह पुत्र लक्ष्मणराम जाति मीना निवासी कालवाडी के नाम दिनांक 15.06.1973 को प्रतिफल लेकर व मौके पर कबजा देकर वयनामा उप पंजीयक कठूमर के यहां रजिस्टर्ड कराया है। हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। जहां तक कब्जे का प्रश्न है विवादित आराजी पर सन् 1973 में भगवानसिंह द्वारा केता वादी अमरसिंह को दिया जाना सावित है। गवाह वादी स्वंय अमरसिंह वाद खरीद से अपना कब्जा होना कथन

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

करता है तथा स्वतंत्र गवाह भरतलाल व अमरसिंह भी सुरत संभाली है तव से उक्त आराजी पर वादी अमरसिंह का कब्जा होना कथन करते है। वादी द्वारा पेश किया गया वयनामा असल वयनामा है जो उप पंजीयक कठूमर द्वारा पजीवद्व किया गया है। जिस दस्तावेज पर किसी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये इससे सावित है कि प्रतिवादीगण की भी इसमें मूक सहमति है। हाल राजस्व रेकार्ड प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाहान आदि के अवलोकन से वाद वादी सावित है। जो डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी वावत घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत खसरा नम्बर 1929/2 रकवा 0.56 हे. वाके ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर में से वादी को रकवा 2 वीघा का खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 ला0 7 का नाम वादी के हिस्से तक कलमजन कर हाल पटवार कागजात माल में वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 06.02.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालयन्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्ववाद संख्या 1/27/2019

वउनवान

1. अमरसिंह पुत्र लक्ष्मणराम जाति मीना निवासी कालवाडी तहसील कठूमर जिला अलवर

------डिक्रीदार

बनाम

1 भगवानसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत

2. सवाईसिंह पुत्र रामसिह जाति राजपूत

3. बच्चूसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत

4. दशरथसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत

5. रतपालसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत

6. रामवीरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत

7. माया पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत

निवासीयान ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर

8.उप पंजीयक भनोखर तहसील कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः वाद वादी वावत घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत खसरा नम्बर 1929/2 रकवा 0.56 हे. वाके ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर में से वादी को रकवा 2 वीघा का खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 ला0 7 का नाम वादी के हिस्से तक कलमजन कर हाल पटवार कागजात माल में वादीको खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आजदिनांक 06.02.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०